संख्या-17/2024/001-287-24-1-24-81 p-2015

प्रेषक,

रंजीत पाटिल

अनु सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

विद्युत सुरक्षा निदेशालय,

विभूति खण्ड-2, गोमतीनगर,

लखनऊ।

अर्जेन्ट अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 13 मार्च, 2024

विषय -वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मानक मद सं०:- 03 तथा 55 में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति दिए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-9560 सु0/ एम-5 (बजट)/ 2023-24 दिनांक 12.02.2024 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मदों में हो रही बचत की कुल धनराशि रुपये 16,00,000 - (रुपये सोलह लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्नक बी०एम०: 09 के अनुसार) विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मद स0-03 में रुपये 9,00,000 - रुपये नौ लाख मात्र) तथा मद स0-55 स्थान किराया मद में रुपये 7,00,000 - (रुपये सात लाख मात्र) को व्यय करने हेतु आपके नियंत्रण पर रखे जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद से पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग मांग बजट की व्यवस्थापना हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है जिसका उपभोग वित्तीय नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग पुष्टिपत्र की प्रति तथा अन्य धनराशि का समुचित वित्तीय वर्ष में ही उपयोग हेतु कार्य आवश्यक होने पर अग्रेतर अपेक्षित धनराशि का समयानुसार प्रावधान कराना।

(5) पुनर्विनियोग की प्रति संलग्न हुए पूर्व निर्धारित नियमों [illegible] अनुपालन।

(6) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2- इस मदों में होने वाला व्यय (1) रुपये 9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2045001030300 विद्युत सुरक्षा निदेशालय सामान्य मद 03 कर्मचारी क्षेत्र (2) रुपये 7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2045001030300 विद्युत सुरक्षा निदेशालय सामान्य मद 55 सकल किराया क्षेत्र के नीचे इस प्रकार है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/वी-1-287/वित्त-2023-231/2023 दिनांक-17-मार्च, 2023 से प्रशासकीय विभाग को प्रत्यत्त प्रतिनिधायित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

पंकज यादव

अनु सचिव ।

संख्या-17/2024/001-287(1)-24-1-24-81पी-2015, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) कार्यालय (लेखा परीक्षा) पश्चिम 30ए0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001

(2) कार्यालय (लेखा परीक्षा) पश्चिम 30ए0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001

(3) समस्त कार्यालयाध्यक्ष, अग्निशमन सेवा, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पंकज यादव

अनु सचिव ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A024-20232024-287-24-1-24-81 P-2015

विषय वित्तीय वर्ष -:2023-24 के शासकीय बजट में प्राविधानित धनराशि के पुनार्विनियोग के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान विनियोग /	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
009	2045001030300 (विद्युत सुरक्षा निदेशालय)	08 (कार्यालय व्यय(	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	36,00,000 रुपये छत्तीस लाख मात्र	2023-2024
009	2045001030300 (विद्युत सुरक्षा निदेशालय)	04 (यात्रा व्यय(	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	2023-2024
कुल					**₹ 16,00,000**	**₹ 16,00,000**		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग /	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
009	2045001030300 (विद्युत सुरक्षा निदेशालय)	55 (मकान किराया भत्ता (	1,15,00,000 रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	1,22,00,000 रुपये एक करोड़ बाईस लाख मात्र	2023-2024
009	2045001030300 (विद्युत सुरक्षा निदेशालय)	03 (मंहगाई भत्ता(	8,10,00,000 रुपये आठ करोड़ दस लाख मात्र	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	8,19,00,000 रुपये आठ करोड़ उन्नीस लाख मात्र	2023-2024
कुल				**₹ 16,00,000**	**₹ 16,00,000**		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-5 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः-
योजना में अपेक्षित प्रगति न हो पाने के कारण

2- स्तम्भ-13 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-14 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-
वर्ष 2023-24 में आवंटित की गयी धनराशि समाप्त हो जाने के कारणः

3- प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-598-E-10-169-X-2023-24-दिनांक:12-03-2024

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(प्रंभजन यादव)
अनु सचिव।

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-287/24-1-2024-81 पी-2015, दिनांक- मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गोमतीनगर, खनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, विभूति खंड गोमती नगर, लखनऊ।
4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
5- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से
(प्रंभजन यादव)
अनुसचिव